फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जमवारामगढ़, जयपुर

ग्यारसी देवी व अन्य बनाम रामनारायण व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या 114/2021

21–09–2021	प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री किशनलाल बैरवा ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया। अन्तरिम आदेश हेतु प्रार्थीगण के अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली, जमाबन्दी, का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया सुदृढ़ एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। इसलिए प्राथीगण के पक्ष में अन्तरिम आदेश पारित करना उचित समझते है। अतः उभयपक्षों को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खसरा नं. 6 रकबा 19.730 हैक्टेयर ग्राम डेडवाडी तहसील जमवारामगढ़ में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें, किसी प्रकार से बैचान हस्तातंरण नहीं करें, प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, निर्माण कार्य नहीं करें, किसी प्रकार से तारबन्दी नहीं करें, मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त आदेश पर कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में आगामी तारीख पेशी को पेश करें। आदेश कि प्रति पालनार्थ तहसीलदार को जारी होकर पत्रावली दिनांक 21.10.21 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

21/10/21 पत्रावली [illegible] प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 शिविर कोटखावदा में पेश हुई। उभ पक्षों में राजीनामा नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/2/22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जमवारामगढ़ (जयपुर)

15/2/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी / जवाब
दिनांक 26/4/22 को पेश हो।

26/4/22 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने से पूर्व डेट दी गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 15/7/22 को पेश हो।

15/7/22 पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त जनरल डेट दी गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 16/9/22 को पेश हो।

16/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की तलबी हेतु पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके हैं इसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण की तलबी नहीं कराई गई अतः आदेश की पालना नहीं करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] धारा 212 आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर